

संख्या

2385
13-09-19

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 1062/2019-2020

फाइल संख्या F-18693

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कुरु ऊँ जन कल्याण संस्थान।

कोरऊऊ धनपतगंज तहसील सदर जनपद-सुलतानपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र संख्या 725/2004-05

दिनांक 09/09/2004 को दिनांक 09/09/2019 से पांच वर्ष की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 11/09/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AC 696651

यह प्रपत्र श्री.....के आवेदन पत्र व
साथ दिनांकको जमा कराया
गया है जिसका न्यायन कार्यालय स्तर
पर नहीं किया गया है श्री.....
के आवेदन पत्र पर इस प्रपत्र की
अपेक्षित प्रतिलिपि जारी की जा
रही है।

उप निबन्धक
कर्म, सोसाइटीज एवं बिट्स
फेजाबाद

कुं. ॐ (जन कल्याण)
संख्या १८६९३
सुल्तानपुर

अपेक्षित - सुल्तानपुर
सी. सुल्तानपुर
- २०१४ - २०१५ -

कुरु-ॐ जन कल्याण संस्थान

कोरॐ पोस्ट धनपतगंज, तहसील सदर, जिला सुलतानपुर (30प्र0)

की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची

वर्ष 2014 - 2015

18693

68/2014

क्र०	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री राजेश कुमार सिंह	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	अध्यक्ष	अधिवक्ता
	पुत्र श्री देव प्रसाद सिंह	जिला सुलतानपुर।		
- 2.	श्री बजरंगली सिंह	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	उपाध्यक्ष	वैज्ञानिक
	पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	जिला सुलतानपुर।		
3.	श्री बलराम सिंह	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	प्रबन्धक	नौकरी
	पुत्र श्री हनुमान प्रसाद	जिला सुलतानपुर।		
4.	श्री तेज बहादुर सिंह	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	उपप्रबन्धक	कृषि
	पुत्र श्री केशवराज सिंह	जिला सुलतानपुर।		
5.	प्र० बी० डी० सिंह	बी-69, सेक्टर-सी, महानगर	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
	पुत्र श्री एम० पी० सिंह	जिला लखनऊ।		
6.	श्री राम बहादुर सिंह	ग्राम सदरपुर, पोस्ट धनपतगंज	सदस्य	कृषि
	पुत्र श्री राम लगेन सिंह	जिला बासबंकी। सुलतानपुर।		
- 7.	श्री नरसिंह नारायण	ग्राम व पोस्ट विसावा	सदस्य	गृहकार्य
	पुत्र श्री राजेश्वर दत्त	जिला सुलतानपुर।		
2 • 8.	श्रीमती इन्दिरा देवी	ग्राम व पोस्ट विसावा	सदस्य	गृहकार्य
	पत्नी श्री अखिलेश बहादुर सिंह	जिला सुलतानपुर।		
9.	श्रीमती आशा सिंह	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	सदस्य	कृषि
	पत्नी श्री दधिबल सिंह	जिला सुलतानपुर।		
10.	श्री राम अवध	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	सदस्य	अधिवक्ता
	पुत्र श्री अंगनू	जिला सुलतानपुर।		
11.	श्री छवि लाल यादव	ग्राम व पोस्ट भीखरपुर		
	पुत्र श्री ठाकुरदीन यादव	जिला सुलतानपुर।		

68/2014

See him July

12/11/14

राजेश कुमार

R-R P.O.

स्मृति- पत्र

- १- संस्था का नाम : कुरु-ऊँ जन कल्याण संस्थान
२- संस्था का पता : कोरऊँ पोस्ट धनपतगंज तहसील
सदर, जिला सुलतानपुर
३- संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश
४- संस्था का उद्देश्य :-
१- संस्था के कार्यक्षेत्र में शिक्षण के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एवं शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी जू० हा० स्कूल मा० एवं उच्चतर मा० एवं आवश्यकता होने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के स्कूल खोलना व उनका संचालन करना।
२- ग्रामीण विकास के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण बच्चों, महिलाओं एवं समाज के सर्वांगीण विकास में सम्बन्धित कार्य करना।
३- ग्रामीण विकास के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास करना।
४- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं गरीब जनता एवं छात्रों के विकास हेतु प्रयास करना।
५- मनोरंजन की दृष्टि से खेलकूद प्रतियोगितायें तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करना।



- कल्याणकारी कार्यक्रमों में समन्वित योगदान और विकास में सहयोग करना।
७- सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों के मध्य तारतम्य प्रत्येक स्तर पर जो विकास के कार्यक्रमों से सीधे अथवा परोक्ष रूप से समर्पित है।
संघ शासित राज्य व राज्य की सीमा के भीतर एवं बाहर सभा व सेमिनार हेतु अपने प्रतिनिधि भेजना और सहयोग प्रदान करना तथा आयोजन करना।
अनुदान, दान शुल्क अनुग्रह राशि को प्राप्त करना और उनको समिति के निर्णय पर खर्च करना।
१०- सोसायटी के निर्णय के अधिकार में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का प्रबन्ध विक्रय खरीद स्थानान्तरित कराना अन्यथा जो भी निर्णायक हो वह करना।
११- संस्था का उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, विज्ञान, प्रौद्योगिक, रचनात्मक, कलात्मक, उन्नति का समुचित प्रयास करना तथा उनमें जागरुकता लाना है।
१२- रोजगार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एवं आयोजन करना।
१३- संस्था के कार्यक्षेत्र में निर्वल एवं कमजोर वर्ग व बिकलांगों के लिये विभिन्न सरकारी गैर सरकारी योजनाओं का संचालन जो कि बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, नारी निकेतन संगीत गायन, वादन, ड्रामा, नाटक, चित्रकला प्रदर्शनी इत्यादि के क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्र द्वारा अनुदानित होने

य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

मितिया तथा चिट्ठ

जाबाद (उ० प्र०)

18/02/2003

आशा सिंह

सिद्ध शिन्दरीदेवी

पर संचालन कर नागरिकों को लाभान्वित करना। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, महिला उत्थान, रोजगार परक कार्यक्रमों का अनुदान के माध्यम से संचालित करना।

१४- संस्था ऐसी शाखा बना सकेगी जिससे कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके जिससे कि असहाय, अपंग, अतिवृद्ध बीमार, बच्चे महिलायें एवं निराश्रित लोगों की सेवा की जा सके तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाया जा सके।

१५- बच्चों एवं समाज के विकास हेतु आर्थिक एवं शारीरिक मदद देना तथा सामाजिक नीति के अनुसार अपनी सही प्रक्रिया व्यक्त कर सामाजिक परिवेश को सही दिशा देना।

१६- निर्बल महिलाओं एवं बच्चों के लिये आश्रम स्थल, नारी सुलभ, उद्योग का प्रशिक्षण एवं बाल बिकास केन्द्र की स्थापना करना।

१७- देश के महान नेताओं के जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार कर उनके आदेशों को बच्चों तक फैलाना जिससे समाज व राष्ट्र का कल्याण हो।

१८- मद्य निषेध, पर्यावरण, परिवार नियोजन एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न तरह के आयोजन एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।

१९- बच्चों के संरक्षण हेतु विकलांग केन्द्र, पुनर्वास केन्द्र, अनाथालय इत्यादि का संचालन करना।

२०- स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार तथा संचालन करना।

२१- महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को कानूनी जानकारी एवं सलाह प्रदान करने हेतु विभिन्न जागरूकता कैम्पों का आयोजन करना।

२२- केन्द्र राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा बच्चों, महिलाओं एवं समाज के विकास हेतु निर्धारित योजनाओं को चलाना एवं उनकी देख-रेख करना। गैर सरकारी, निधियन, देशी एवं विदेशी, संस्थाओं से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

२४- जल पर्यावरण एवं स्वच्छता कार्यक्रमों का संचालन एवं आयोजन एवं शोधनालय, आवास एवं समुचित केन्द्र इत्यादि का निर्माण करना।

२५- साधारणतयः ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायतार्थ हो जैसे शिक्षा शिविरो का आयोजन, पुस्तको, पत्रिकाएं, समकालीन पत्र बुलिटैन एवं साहित्य के प्रचार प्रसार वितरण तथा विक्रय करना एवं चल एवं अचल चित्रों का प्रदर्शन करना।

२६- समस्त उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं ग्रामोद्योग कमीशन की नीतियों एवं कार्यक्रमों को उनके निर्धारण रीति के अनुसार अपनाना। उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उद्योग लगाना व संचालन करना, उनके माध्यम से गरीबी

उप निबन्धक रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं उनके सदस्यों का शैक्षिक

कर्म समितियाँ तथा चिट्स

फैजाबाद (उ० प्र०)

१५/५/२००५

आशा सिंह

इन्दिरा देवी

, सामाजिक व आर्थिक विकास करना। उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा कर उन्हें आत्म निर्भर करना।

२७- महिलाओं एवं आम जनता, कारीगरों एवं निर्धन व्यक्तियों का सामाजिक स्तर उठाने हेतु लघु कुटीर उद्योगों को खोलना तथा ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व विकास एवं उनको प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

२८- पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीडा केन्द्र, व्यायामशाला, छात्रावास, निःशुल्क चिकित्सालय आदि खोलना एवं उनका संचालन करना।

२९- संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु एवं कुटीर निदेशालय समस्त राष्ट्रीय कृत बैंक, स्थानीय निकायों, उ०प्र० वित्त निगम एवार्ड, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उद्योग विभाग, लघु एवं कुटीर उद्योग निदेशालय, सहित राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के समस्त विभागों अनुभागों, हडकों एवं अन्य वित्तीय पोषक विभागों से योजनायें प्राप्त करना।

३०- संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन आदि दान पट्टे पर लेना। कय करना आदि।

३१- खादी एवं ग्रामोद्योगों मेलों, प्रदर्शनियों एवं सेमिनारों का आयोजन करना अथवा अन्य संस्थानों/ विभागों द्वारा आयोजित मेलों प्रदर्शनियों शिविरों सम्मेलनों सेमिनारों में भाग लेना।

३२- खादी एवं ग्रामोद्योगी साहित्य सामग्री का प्रकाशन व मुफ्त वितरण करना। प्रदूषण रहित समाज की स्थापना हेतु वृक्षारोपण करवाना तथा स्वच्छता अभियान चलाना, इस कार्य के लिये सांस्कृतिक प्रोग्राम चलाना तथा लोगों को जागरुक करना।

३४- मात्र शिशु कल्याण केन्द्रों का संचालन करना।

३५- जनसंख्या नियन्त्रण हेतु सांस्कृतिक प्रोग्राम चलाना, इसके लिये लोगों को सलाह देना तथा इसके भीषण दुष्परिणामों की जानकारी देना।

३६- जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करना।



संयोजक

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियाँ तथा चिट्ठे
फैलावा (उ० प्र०)

15/02/2005

नंदा देवी

आशा सिंह

श्री. इन्दिरा देवी

MS-1

कार्यकारिणी सदस्य पिता/पति, पता, पद, व्यवसाय

पेज नं०

क्रमांक	नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1.	राजेश कुमार सिंह	श्री देव प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	डा० बजरंगबली सिंह	श्री द्वारिका प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	वैज्ञानिक
3. ०	वंश बहादुर सिंह	श्री हनुमान प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	प्रबन्धक	कृषि
4.	तेज बहादुर सिंह	श्री केशवराज सिंह	ग्रा० व पो०- विसावा, जिला- सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	कृषि
5. ९	श्रीमती सरोज सिंह	श्री घनश्याम सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
6.	राम बहादुर सिंह	श्री राम लगन सिंह	ग्रा०-सदरपुर, पो०-धनपतगंज, जिला-सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
7.	नरसिंह नारायण उपाध्याय	श्री राजेश्वर दत्त	ग्रा० व पो०- भीखरपुर, जिला- सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती इन्दिरा देवी	श्री अखिलेश बहादुर सिंह	ग्रा० व पो०- विसावा, जिला- सुलतानपुर	सदस्या	गृहकार्य
9.	श्रीमती आशा सिंह	श्री दधिवल सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	सदस्या	गृहकार्य
10.	रामअवध	श्री अंगनू	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
	छवि लाल यादव	श्री ठाकुरदीन यादव	ग्रा० व पो०- भीखरपुर, जिला- सुलतानपुर	सदस्य	अधिवक्ता



दिनांक

हस्ताक्षर

वंश बहादुर सिंह

आशा सिंह

B B Ram

नरसिंह नारायण

राम अवध

सत्य प्रतिजिप्ति

सिंह इन्दिरा देवी

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

14/02/2005

नियमावली

- १- संस्था का नाम : कुरु-ऊँ जन कल्याण संस्थान
२- संस्था का पता : कोरऊँ पोस्ट धनपतगंज तहसील
सदर जिला सुलतानपुर
३- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ०प्र०
४- सदस्यों के वर्ग :-

- १- संस्थापक आजीवन सदस्य वे होंगे जिन के द्वारा संस्था का गठन किया जा रहा है।
२- संस्थापक आजीवन सदस्य, जो व्यक्ति एक मुश्त १०००००/- रुपया नगद देगा वह व्यक्ति संरक्षक आजीवन सदस्य होगा किन्तु ऐसे सदस्यों के लिये अध्यक्ष व प्रबन्धक या सचिव की सहमति वांछित होगी।
३- साधारण सदस्य, जो व्यक्ति संस्था का साधारण सभा का सदस्य होना चाहेंगे उन्हें ५०००/- रु० प्रतिमाह अथवा ५००००/- रु० प्रतिवर्ष देय होगा।
४- सामान्य सदस्य, वे सभी लोग जो २५/- रु० प्रतिमाह अथवा ३००/- रु० प्रति वर्ष देंगे, सामान्य सदस्य होंगे। इन सदस्यों के बच्चों एवं अन्य परिवार जनो को विशेष सलाह के लिये आमंत्रित किया जायेगा।



धारा ४(१) में उल्लिखित आजीवन सदस्यों के अतिरिक्त समस्त सदस्यों का अनुमोदन साधारण सभा से होगा।

५- सदस्यता की समाप्ति :-

सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति, मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने, किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध में दण्डित होने, सदस्यता शुल्क न जमा करने, संस्था की बैठकों में अनुपस्थित रहने संस्था को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने, सदस्यों के सन्दर्भ में साधारण सभा को अधिकार होगा कि वह अपने ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दे।

- ६- संस्था के अंग :-
(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

७- साधारण सभा :-

गठन :- कालम न०४ में वर्णित सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियां तथा चिट्ठे
फैजाबाद (उ० प्र०)

15/05/2005

जय बाबू Singh
राम अग्रवाल

सूचना अवधि :- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कमसे कम १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ७ दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी दिन आहुति की जा सकती है।

गणपूर्ति :- कुल सदस्य संख्या का २/३ बहुमत कोरम होगा, स्थगित बैठक के लिये कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :-

- १- प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- २- संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
- ३- संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- ४- संसोधन प्रक्रिया २/३ सदस्यों के बहुमत से करना।

प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठन :-

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, सचिव, उप-प्रबन्धक, उप सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य ६ कुल संख्या ११ होगी।

बैठकें :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की तुलना सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम ७ दिन पूर्व, विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व देना जरूरी है।

गणपूर्ति :-

कुल सदस्यों का २/३ बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलायी गयी बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्ठस
फैजाबाद (उ० प्र०)

15/07/2005



सरोज सिंह

Dr. Bhabendra Singh

राम अनवर

- ६- वर्ष के अन्त में समस्त आय-व्यय के हिसाब किताब को साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
- ७- बजट तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पास कराना।
- ८- पक्ष-विपक्ष के वादों की पैरवी करना।
- ९- समस्त प्रशासनिक अधिकार प्रबन्धक/सचिव में निहित है।
कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलम्बन, बहाली कार्यकारिणी समिति के पूर्व अनुमति से करना।
- १०- संस्था के खाते का संचालन अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से करना।
- ११- दान-अनुदान/सम्बन्धित प्राप्त करने हेतु समस्त लिखापढ़ी अपने हस्ताक्षर से करना।

उप-प्रबन्धक/उप-सचिव :-

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उस में निहित समस्त अधिकारों को उपयोग में लाना। प्रबन्धक/सचिव द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पन्न करना।

कोषाध्यक्ष :-



आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।

- २- प्रबन्धक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- ३- सदस्यों को चन्दे की रसीद देना तथा उस से धन प्राप्त करना।
- ४- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये ५००/- रु० तक अपने पास रखना।

१२- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा।

११- संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :-

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा जो अध्यक्ष तथा प्रबन्धक/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

१२- संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण / आडिट :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

१३- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही (पक्ष- विपक्ष के मुकदमात)

की पैरवी का उत्तरदायित्व संस्था के समस्त पक्ष-विपक्ष के सारे मुकदमात की पैरवी प्रबन्धक/सचिव या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की या करायी जायेगी।

१४- संस्था के अभिलेख :-

१- सदस्यता रजिस्टर

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

कर्म समितियाँ तथा चिट्ठे
फेजाबाद (उ० प्र०)

14/02/2005

सराज सिंह

श्री Bahadur Singh

राम अरवध

- २- कार्यवाही रजिस्टर
- ३- स्टाक रजिस्टर
- ४- कैश बुक आदि

१५- पूँजी :-






प्रवेश व सदस्यता शुल्क व दान, अनुदान व सब्सेयरी आदि।

१६- व्यय :-

कर्मचारियों के वेतन, मशीन उपकरण, भूमि भवन आदि पर व्यय तथा अन्य प्रकार के मिश्रित व्यवस्था।

१७- संस्था के विघटन एवं सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजिस्ट्रेशन अधिनियम १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य

क्रमांक	नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार सिंह	श्री देव प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	अध्यक्ष	अधिवक्ता	
2.	डा० बजरंगबली सिंह	श्री द्वारिका प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	वैज्ञानिक	
3.	बहादुर सिंह	श्री हनुमान प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	प्रबन्धक	कृषि	
4.	तेज बहादुर सिंह	श्री केशवराज सिंह	ग्रा० व पो०- विसांवा, जिला- सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	कृषि	
	श्रीमती सरोज सिंह	श्री धनश्याम सिंह	ग्रा०-कोरौ, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य	



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियों तथा चिट्ठे
फैजाबाद (उ० प्र०)

14/02/2005